

फर्द अहकाम

राजगोपाल बनाम अनंतमल

नाम न्यायालय ACFM(F.N) शाहपुरा

केस संख्या 67/20/6 शेका 53,188 B.N.P.V

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6-10-17	<p>बैयाब फर्द शीमर अफिकानो को कल्या सभेवाली शीमर आशुजी ठवगवा का अनंतरण शीमर लवबाव अफिकानो को कल्याकर वहीमन को बेशकल करवाउंगा तथा वहीमन के साथ डेज 21-1-13 को भादपीट की बिसकारण अफिलम से कर फेश मलगा आकरमन हुआ।</p> <p>अतः उचित किया कि उचितपरीक्षण करा करवाली ठवगवा को बिस मारुजी बटवाए कराने, बिस परिकरिन करवाए आशुजी ठवगवा के बिसीय म. भाग पर आकरमन अफिकानो कर बिना जीवादीगण को अफिकानो करि होगी। अतः जीवादीगण आशुजी ठवगवा को सभे खोटेपारी को ब्याई बिसवाला से पाकर करारे मारुन अफिकानो है।</p> <p>अतः शिका इति एकरि 2 डिमा बिसर उचितपरीगण को नोडिस जारी किल गल। डेज 28/6/17 को आपनिक उचितपरी गीगदि। डेज 1-9-17 को वहीमनदार शाहपुरा से बटवाए बिपेटि फामु हुई। उचितपरीगण स. 1 की ओर डेज 6-5-16 को बबल शवा पेश किम मारा। उचितपरीगण ने अपने बबल शवा से ठकर अफिकानो के सभे मने पूर्व से ही बिसरी बटवाए हो चुका है। बटवाए बिपेटि मरुबनिक उचितपरी 3 डेज 25/9/17 को आपनिक पेश की। बिब पर बिसीय उफमो पछो</p>

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज)

फर्द अहकाम

राजभाषा बनाम सरतमल
 लय ACEM (F.T.) शाहपुरा
 67/2016 दिनांक 53/18/19/19

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>को सुना गया। वही बंदी द्वारा आपत्ति बटवारा रिपोर्ट पर सतत है। अतः उपरोक्त बटवारा रिपोर्ट आपत्ति आ.पव के अन्तर्गत दवा डी.डी. किया जाता है आ.ख.न-662 रकबा 0.62 है गौरी गाम बोरी वही बंदी शाहपुरा बटवारे में मकरबोटेदार के अन्तर्गत बटवारा किया जाता है।</p> <p>उक्त बटवारे 2 खातेदार का इतना पंक्ति किया जाता है -</p> <p>(1) बंदी स. 1 बगा. 3 के बटवारे में आपत्ति बटवारे रिपोर्ट बटवारे के आधार पर आ.ख.न-662/2 रकबा 0.31 है किया रहेगा।</p> <p>(2) पहिली बंदी स. 1 के बटवारे में आपत्ति बटवारे रिपोर्ट के आधार पर आ.ख.न-662/1 रकबा 0.31 है किया रहेगा।</p> <p>रिपोर्ट बटवारा व नमशा इस व आपत्ति कुम्हार बटवारे में जुटा रहेगा। बटवारे टावर (बगड में अन्तर्गत) दस्तावेज किया जावे। पहाटारा में आपत्ति विवेचना से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार हर दुसरे में कच्चे वास्त में किसी प्रकार की भूखाना पेशान की नरे। पचा डी.डी. जारी दो। जोदेश सुनाया गया।</p> <p>पताबली फेसब सुभार होकर बाद वगनीय दखिल रहते है।</p>	

सहायक कलेक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
 शाहपुरा जिला नयापूर (राज.)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

मा नम्बर :- 11/2017

गौन अधिकारी :- श्री रवि विजय, (आर.ए.एस.)

विरुद्ध

उनवान

रामगोपाल पुत्र श्रीराम
रतनलाल पुत्र श्रीराम
कौशल्या पत्नी श्रीराम
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

वादीगण

बनाम

भरतमल पुत्र घासीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम घोबलाई तहसील गोविन्दगढ़ जिला
जयपुर, राज0

राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0
उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0
काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 6-10-17

दावा बंटवारा रिपोर्ट, आपत्ति प्रार्थना पत्र के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है।
1 खसरा नम्बर 662 रकबा 0.62 हैक्ठो वाकै ग्राम खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में
नेदार के मध्य निम्न बंटवारा किया जाता है। उन्हे पृथक - पृथक खातेदार घोषित किया जाता

वादी संख्या 1 लगा0 3 के बंटवारे में आपत्ति बंटवारे रिपोर्ट सहमति के आधार पर
आराजी खसरा नम्बर 662/2 रकबा 0.31 हैक्ठो हिस्सा रहेगा।

प्रतिवादी संख्या 1 के बंटवारे में आपत्ति बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर
662/1 रकबा 0.31 हैक्ठो हिस्सा रहेगा।

गेट बंटवारा व नक्शा ट्रेस व आपत्ति कुरैजात निर्णय का जुज रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड
ल दरामद किया जावे।

करान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक दूसरे के
काश्त में किसी प्रकार की मजाहमद पैदा नहीं करें।

खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 6-10-17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
दी गई।



(रवि विजय)

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

रुपया	प्रतिवादी	रुपया
प्र के लिए स्टम्प पत्र के लिए स्टम्प के लिए स्टम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टम्प अर्जी के लिए स्टम्प प्लीडर की फीस	
रुपये पर प्लीडर की फीस में के लिए निर्वाह - व्यव हर की फीस का की तामिल	शक्तियों के लिए निर्वाह व्यव आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
	जोड़	